संख्या-12/22मुस/का-2/2013

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
3- जिलाधिकारी, शामली।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक:03 दिसम्बर, 2014

विषय:- मुजफ्फरनगर तथा आसपास के जनपदों में दंगों में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 27-09-2013 तथा 09-10-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा के दृष्टिगत, मुजफ्फरनगर तथा आसपास के जनपदों में दंगों में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- जिलाधिकारी, शामली द्वारा दंगे में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में पत्र संख्या-3004/दंगा/जेए, दिनॉक 29-09-2014 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करते हुए शासन के निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी, शामली द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्नवत् प्रस्ताव किये गये हैं-

(1) मृतक सुक्खन पुत्र मामराज निवासी- पट्टी टोरडा, ग्राम लिसाढ़, थाना- फुगाना, जनपद-शामली के आश्रित पुत्र श्री कय्यूम को कलेक्ट्रेट, शामली के नजारत अधिष्ठान में चपरासी के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली-1985, भाग-5-भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) मृतका शकूरन पत्नी शमशुदीन निवासी, ग्राम-लांक, थाना-फुगाना, जनपद-शामली के आश्रित पौत्र श्री महताब को कलेक्ट्रेट अधिष्ठान शामली में लिपिक पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय(कलेक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2011 में प्रदत्त प्रकिया में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(3) मृतक श्री अमन पुत्र राजेन्द्र निवासी-ठेवा बस्ती, मोहल्ला-पंसारियान, कस्बा व थाना-शामली, जनपद-शामली के आश्रित भाई श्री सोनू को कलेक्ट्रेट शामली के नजारत अधिष्ठान में चपरासी के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली-1985, भाग-5-भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(4) मृतका जरीफन के पौत्र श्री वसीम को पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली-1978 व ग्राम पंचायत अधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली-1989 की चयन प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(5) मृतक नाजिम सैफी की पत्नी श्रीमती गुलशन को स्वास्थ्य विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु समूह-घ कर्मचारी सेवा नियमावली-1985, भाग-5-भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। सेवायोजित करने से पूर्व जिलाधिकारी, शामली द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का इस दृष्टिकोण से भलीभाँति परीक्षण कर लिया जाये कि उक्त पाँचों आवेदक दंगा पीडित मृतकों के ही वास्तविक वारिसान हैं और आयु एवं शैक्षिक अर्हता की दृष्टि से सेवायोजन हेतु उपयुक्त हैं।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त वर्णित पाँच मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-12/22मुस/का-2/2013

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 03दिसम्बर, 2014

विषय:- मुजफ्फरनगर तथा आसपास के जनपदों में दंगों में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-73/जेए/सा0द0/भर्ती दिनॉक 7-10-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक श्री इलियास उर्फ पौदा पुत्र श्री शरीफ, निवासी- ग्राम- मुण्डभर, तहसील- बुढाना के आश्रित श्री शान मोहम्मद को सरकारी सेवा में सेवायोजन हेतु समसंख्यक पत्र दिनॉक 07-08-2014 के माध्यम से प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मण्डलायुक्त, सहारनपुर एवं आपको निर्देशित कर दिया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु उपरिसंदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in